न्यायालय– सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम०, जलेसर, एटा
जमानत आवेदन संख्या–175/2026
[UPET 1200 1124 2026]

गंगा सिंह पुत्र बेंचेलाल उम्र 40 वर्ष
निवासी k–1/18D/156 देवली साउथ, दिहली, थाना साऊथ दिल्ली,
हाल मौजूदा जरानी खुर्द, थाना सकरौली, जिला एटा

..... **आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उ०प्र० राज्य

मु०अ० सं०–156/2020
धारा–60 आबकारी अधिनियम
थाना–सकरौली, जिला एटा

02.06.2026

आदेश

आज प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त गंगा सिंह की ओर से द्वारा अधिवक्ता यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे झूंठा फंसाया गया है। उसके कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्कों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.01.2021 से अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया था। पत्रावली से विदित होता है कि मामले में अभियुक्त के न्यायालय हाजिर न आने पर उसके विरुद्ध गैर जमानतीय व तदोपरान्त धारा 82 दं०प्र०सं० की आदेशिका जारी की गयी थी, जिन पर अभियुक्त को दिनांक 11.05.2026 को प्रस्तुत प्रकरण में जिला कारागार भेजा गया था। अभियुक्त कथनानुसार वह प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय हाजिर रहेगा व विचारण में समर्थन करेगा। वह पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **गंगा सिंह** की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में मु०– 20,000/– रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

दिनांक–02.06.2026

(सत्यम सिंघल),
प्रभारी, सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम०, जलेसर, एटा
(J.O. CODE– UP 3375)